## कृषि मंत्रालय

**( कृषि और सहकारिता विभाग )**

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2015

**सा.का.नि. 72.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण संगठन (कनिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती नियम, 1977, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण में मानचित्र अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण (मानचित्र अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. निरर्हताएं.—** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| मानचित्र अधिकारी | 4* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय) | वेतन बैंड 3, (15600-39100 रु.) + ग्रेड वेतन 5400 रु. | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |

| **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| (10) | (11) |
| 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा और 60 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा | **प्रोन्नति :**<br>वेतन बैंड-2, (9300—34,800 रु.) + ग्रेड वेतन रु. 4200 में ऐसे ज्येष्ठ मानचित्र सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल में कम से कम बेचलर डिग्री रखते हों ।<br><br>**टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br><br>**टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।<br><br>**प्रतिनियुक्ति ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) :–**<br><br>(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कृषि विश्वविद्यालयों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :<br><br>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण किये हुए हों ; या |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (11) | | | |
| | | | (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, (9300—34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्षों की सेवा की हो ; या<br><br>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, (9300—34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्षों की सेवा की हो ; या<br><br>(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, (9300—34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्षों की सेवा की हो ; या<br><br>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :–<br><br>**अनिवार्य :**<br><br>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मानचित्रकारी में विशेषज्ञता के साथ भूगोल में मास्टर डिग्री ;<br><br>(2) मानचित्रकारी सर्वेक्षण और मानचित्रण में एक वर्ष का अनुभव ।<br><br>**वांछनीय :**<br><br>आकाशी-फोटोग्राफ और उपग्रह प्रतिबिंब के निर्वचन और कम्प्यूटर की सहायता से विश्लेषण के कार्य में दो वर्ष का अनुभव ।<br><br>**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।<br><br>[प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।]<br><br>**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर |

| | (11) |
|---|---|
| | की गई सेवा को, सिवाय उस दिशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए ) :–**<br>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष<br>2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), कृषि और सहकारिता विभाग —सदस्य<br>3. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन), कृषि और सहकारिता विभाग —सदस्य<br>4. निदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन), कृषि और सहकारिता विभाग —सदस्य<br>5. मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण —सदस्य | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है । |

[फा. सं. 16-1/2013-एनआरएम-II]

प्रदीप श्रीवास्तव, अवर सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

### (Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 26th March, 2015

**G.S.R. 72.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organisation (Junior Cartographer) Recruitment Rules, 1977, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cartographic Officer in the Soil and Land Use Survey of India, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture, namely :—

**1. Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Cartographic Officer) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.—** The number of the said posts, its classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.—** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Pay Band and Grade Pay or Pay Scale | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Cartographic Officer | 4* (2015) *Subject to variation dependent on work load. | General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-3, (Rs. 15600–39100) with Grade Pay of Rs. 5400 | Selection | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| Not applicable | Not applicable | Two years for promotees |

| **Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation or absorption to be made |
|---|---|
| (10) | (11) |
| 40% by promotion, failing which by deputation (including short term contract) and 60% by deputation (including short term contract) | **Promotion :** Senior Cartographic Assistant in Pay Band-2 (Rs. 9300–34800) with Grade Pay of Rs. 4200 with eight years' regular service in the grade and possessing at least Bachelor's degree in Geography from a recognised university, or institute. |

(11)

**Note 1 :** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility Service.

**Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission.

**Deputation (including short term contract) :**

Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administations or Agricultural Universities or Researach Institutions of Indian Council of Agricultural Research or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations :

(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in Pay Band -2 ( Rs. 9300-34800) plus grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or Department; or

(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in Pay Band -2 ( Rs. 9300-34800) plus grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or Department; or

(iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in Pay Band -2( Rs. 9300-34800) plus grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(B) possessing the following educational qualifications and experience :

**Essential :**

(1) Master's degree in Geography with specialisation in Cartography from a recognised university or institute.

| (11) |
|---|
| (2) One years' experience in Cartography Survey and mapping.<br>**Desirable :**<br>Two years' experience of aerial photo or satellite image interpretation and computer aided analysis.<br>**Note 1 :**<br>The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br>(Period of deputation (incuding short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).<br>**Note 2 :**<br>For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—**<br>(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman | Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion. |

(12)

(2) Joint Secretary (Administration), Department of Agriculture and Cooperation —Member

(3) Joint Secretary (Natural Resources Management) Department of Agriculture and Cooperation —Member

(4) Director (Natural Resources Management) Department of Agriculture and Cooperation —Member

(5) Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Member

[F. No. 16-1/2013-NRM-II]

PRADEEP SRIVASTAVA, Under Secy.

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

**सा.का.नि. 73.**—कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, संख्या 187/2014, दिनांक 1 सितम्बर, 2014 में 31 अगस्त, 2014 से 6 सितम्बर, 2014 तक के सप्ताह के लिए भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में (इसके पश्चात् इसे राजपत्र अधिसूचना के रूप में संदर्भित किया जाए) :–

(i) राजपत्र अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 1 पर, पंक्ति 5 में, ''आशुलिपिक श्रेणी III'' को ''आशुलिपिक श्रेणी II'' पढ़ा जाए ;

(ii) राजपत्र अधिसूचना की अनुसूची के पृष्ठ संख्या 2 पर, कॉलम संख्या 1 में, ''आशुलिपिक श्रेणी III'' को ''आशुलिपिक श्रेणी II'' पढ़ा जाए ;

2. राजपत्र अधिसूचना के अन्य मद पूर्ववत् ही रहेंगे ।

[फा. सं. ए-12018/1/2013-ईए]

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st March, 2015

**G.S.R. 73.**— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, No. 187/2014, dated the 1st September, 2014, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) for the week 31st August, 2014 to 6th September, 2014 (hereinafter referred as Gazette Notification) :—

(i) at page no. 1, in line 5 of the Gazette Notification, for ''Steno Grade III'' read ''Steno Grade II'';

(ii) at page no. 2, under Col. no. 1 of the Schedule of the Gazette Notification, for ''Steno Grade III'' read ''Steno Grade II'';

2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

[F. No. A-12018/1/2013-EA]

A.K. ARORA, Under Secy.